राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

निःशुल्क शिक्षा : हर बच्चे का अधिकार



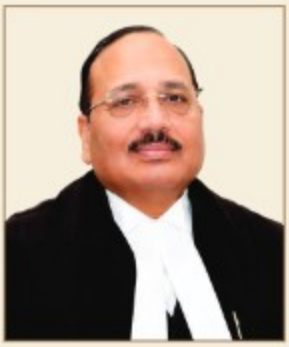
NALSA (शिक्षा) योजना, 2026 [RTE अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c)]

हर बच्चे की आंखों में सपने, हाथों में अवसर

न्याय सबसे पहले उन तक पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

माननीय मार्गदर्शक एवं संरक्षकगण



माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य कान्त

मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं
मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण



माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ

न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

"आशा है कि 'नालसा शिक्षा' (**NALSA SHIKSHA**) संवैधानिक वादों और शैक्षणिक अवसरों के बीच एक सेतु का कार्य करे, ताकि हर पात्र बच्चा गरिमा के साथ सीखने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और हमारे राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त हो सके।"

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

माननीय मार्गदर्शक एवं सरंक्षकगण



माननीय न्यायाधिपति श्री संजय कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



माननीय न्यायाधिपति श्री विनीत कुमार माथुर
प्रशासनिक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



माननीय न्यायाधिपति श्री इन्द्रजीत सिंह
न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर



माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण मोंगा
न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर

"राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) का ध्येय केवल अदालत की चारदीवारी तक सहायता पहुँचाना नहीं, बल्कि "NALSA (शिक्षा) योजना, 2026" और "Transformative Tuesday" अभियान के माध्यम से शिक्षा के मौलिक अधिकार को हर वंचित बच्चे के जीवन में साकार करना है। व्यावहारिक सूत्र "5–G" (जानो, जाँचो, जुटाओ, जमा करो, जुड़े रहो) और सक्रिय SHIKSHA यूनिट्स के ज़रिए, RSLSA राज्य के अंतिम छोर पर खड़े परिवार का हाथ थामकर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी योग्य बालक–बालिका कानूनी या प्रक्रियागत बाधाओं के कारण ज्ञान की रोशनी से वंचित न रहे और हर बच्चे को समान सम्मान व गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले।"



माननीय न्यायाधिपति श्री संजय कुमार अग्रवाल

मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

किसी भी राष्ट्र की सच्ची समृद्धि उसके संसाधनों से नहीं, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर बच्चे को कितने सम्मान और संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। शिक्षा वह सेतु है जो एक बच्चे के सपनों को उसके भविष्य से जोड़ती है। एक शिक्षित बालक केवल अपना जीवन नहीं बदलता, वह अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल देता है।

न्याय का अर्थ केवल विवादों का निपटारा नहीं है। न्याय का व्यापक अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास का वास्तविक अवसर मिले। जब किसी बच्चे को उसका सही स्थान मिलता है, तो वह केवल एक कक्षा में प्रवेश नहीं करता, वह समान नागरिक के रूप में समाज में अपनी जगह पाता है। इसी कारण विधिक सेवा संस्थाओं का कार्य अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। उन्हें समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है जिसे अपने अधिकारों की जानकारी या उन तक पहुँचने का मार्ग नहीं मिल पाया। न्यायपालिका की सार्थकता इसी में है कि न्याय सबसे पहले उन तक पहुँचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

अधिकार का कागज़ पर होना एक बात है और उसका जीवन में उतरना दूसरी। एक श्रमिक, किसान या घरेलू सहायिका के परिवार के लिए आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की व्यवस्था और समय-सीमा का पालन अक्सर अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में जब कोई पैरा-लीगल वालंटियर किसी अभिभावक का हाथ थामकर उसे सही मार्ग दिखाता है, तो वह वास्तव में संविधान के वादे को पूरा करने में सहभागी बनता है। यह सेवा छोटी दिख सकती है, पर किसी बच्चे के जीवन में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।

यह दायित्व किसी एक संस्था का नहीं, हम सबका साझा दायित्व है। अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे हर बच्चे को खुले मन और बराबरी के भाव से अपनाएँ। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह संवेदनशीलता और तत्परता से सहयोग करे। प्रवेश मिल जाना यात्रा का केवल पहला पड़ाव है। उसके बाद भी हर बच्चे को कक्षा में समान सम्मान, अपनेपन और सीखने का वातावरण मिलना चाहिए, ताकि वह स्वयं को किसी से कम न समझे। तभी शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी।

आज के डिजिटल युग में सरल भाषा में तैयार ई-पुस्तक जैसी पहल जानकारी को दूर-दराज़ के गाँवों और ढाणियों तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक इसी दिशा में एक सराहनीय और समयानुकूल प्रयास है। मुझे आशा है कि यह अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधकों, विधिक सेवा संस्थाओं और आमजन, सभी के लिए उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

मैं इस प्रयास से जुड़े सभी अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं, पैरा-लीगल वालंटियर्स और सहयोगियों को हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरा विश्वास है कि हम सबके सम्मिलित प्रयास से राज्य का कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा, और हर बच्चे की आँखों में सपने और हाथों में अवसर होंगे।

सं॰ कु॰ अग्रवाल

संजय कुमार अग्रवाल

मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



माननीय न्यायाधिपति श्री विनीत कुमार माथुर

प्रशासनिक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है तथा सामाजिक न्याय और समान अवसर की आधारशिला है। किसी भी बच्चे को केवल आर्थिक अभाव के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक समावेशी समाज का निर्माण तभी संभव है, जब आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं वंचित समूहों के बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश का प्रावधान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की 'NALSA (शिक्षा) योजना, 2026' इस अधिकार को वास्तविकता में परिणत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी, जागरूकता के अभाव अथवा प्रक्रियागत बाधाओं के कारण कोई भी पात्र बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर से वंचित न रहे। विधिक जागरूकता, प्रवेश प्रक्रिया में सहायता तथा पात्र बच्चों को उनके वैधानिक अधिकारों का लाभ दिलाने के माध्यम से यह योजना शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने की दिशा में सार्थक कदम है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) भी विद्यालयों में विधिक जागरूकता के प्रसार हेतु फरवरी 2026 से 'Transformative Tuesday' अभियान संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निर्धारित मंगलवार को लगभग 1,400 न्यायिक अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। ऐसे प्रयास बच्चों में विधिक चेतना विकसित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों के प्रति समझ को सुदृढ़ करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका में समाहित '5-G' सूत्र—जानो, जाँचो, जुटाओ, जमा करो और जुड़े रहो— शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों एवं आवेदन प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका अभिभावकों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पैनल अधिवक्ताओं तथा संबंधित अधिकारियों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।

मैं इस योजना एवं पुस्तिका को साकार करने में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रयासों की सराहना करता हूँ। आशा है कि यह पहल पात्र बच्चों तक उनके शिक्षा संबंधी अधिकारों का लाभ पहुँचाने, प्रवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आइए, हम संकल्प लें कि कोई भी पात्र बच्चा केवल गरीबी या जानकारी के अभाव के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के द्वार खोलना ही समान अवसर, सामाजिक न्याय और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमारा साझा प्रयास है।

विनीत कुमार माथुर
प्रशासनिक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



श्री हरिओम अत्री

सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

विधिक सेवा तंत्र का सर्वोपरि ध्येय केवल न्यायालयों तक सहायता पहुँचाना नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समाज के अंतिम व्यक्ति के दैनिक जीवन में वास्तविकता बनाना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसी संकल्पना को संस्थागत रूप देने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% सीटें दुर्बल एवं अलाभित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करती है।

कानून की मंशा स्पष्ट है, किंतु मैदानी हकीकत दर्शाती है कि सूचना की अनुपलब्धता, जटिल आवेदन प्रक्रियाओं, तकनीकी अड़चनों और जागरूकता की कमी के कारण अनेक जरूरतमंद परिवार इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि धारा 12(1)(c) के क्रियान्वयन को पारदर्शी, बाधा-मुक्त और जवाबदेह बनाया जाए। इसी दृष्टि से 'NALSA (शिक्षा) योजना, 2026' के तहत विधिक सेवा संस्थाओं को केवल प्रवेश प्रक्रिया तक सीमित न रखकर, प्रवेश के उपरांत बच्चों के अधिकारों की निरंतर सुरक्षा और निगरानी की ठोस जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा संचालित "Transformative Tuesday: Navigating Life Legally" अभियान के अंतर्गत भी विद्यालयी विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता के प्रसार हेतु एक व्यापक पहल की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायिक अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, साइबर बुलिंग, गुड टच एवं बैड टच, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण विधिक एवं सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों की विद्यालयों में प्रत्यक्ष सहभागिता के माध्यम से बच्चों को अपने अधिकारों को समझने, संभावित जोखिमों को पहचानने और आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

NALSA (शिक्षा) योजना, 2026 तथा RSLSA का 'Transformative Tuesday' अभियान स्वतंत्र पहल हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान एवं कार्यक्षेत्र है। तथापि, दोनों का व्यापक उद्देश्य बच्चों को जागरूक, सुरक्षित एवं सशक्त बनाना तथा उनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विद्यालयी स्तर पर विधिक जागरूकता के लिए RSLSA द्वारा अर्जित अनुभव और संचालित गतिविधियाँ, NALSA की नवीन योजना के उद्देश्यों को व्यापक संदर्भ प्रदान करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन में पूरक सिद्ध हो सकती हैं।

इसी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रस्तुत 'निःशुल्क शिक्षा जागरूकता पुस्तिका' को एक व्यावहारिक और सुविधाजनक कदम के रूप में तैयार किया गया है। इस पुस्तिका में जटिल कानूनी नियमों और न्यायिक निर्णयों को आमजन की समझ के अनुरूप सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से इसमें प्रतिपादित '5-G' का व्यावहारिक सूत्र (जानें, जाँचें, जुड़ें, जमा करें और जुड़े रहें), चरणबद्ध प्रवेश प्रक्रिया, शिकायत निवारण की स्पष्ट सीढ़ी और PLV चेकलिस्ट इसे मैदानी कार्यकर्ताओं के लिए एक संपूर्ण कार्य-पुस्तिका (handbook) का रूप देते हैं।

प्राधिकरण का यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य की प्रत्येक जिला एवं तालुक 'SHIKSHA यूनिट' पूरी सक्रियता से कार्य करे। हमारे पैरा-लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) और पैनल अधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वंचित बच्चे का आवेदन केवल दस्तावेजों की कमी या डिजिटल जानकारी के अभाव में निरस्त न हो। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका विधिक साक्षरता को धरातल पर क्रियान्वित करने, अभिभावकों में आत्मविश्वास जगाने और विद्यालय स्तर पर समावेशी वातावरण तैयार करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी। इस महत्वपूर्ण प्रयास के सफल प्रकाशन हेतु पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हरिओम अत्री

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विषय-सूची

अध्याय 1	परिचय : पूरी बात एक नज़र में	1
अध्याय 2	संवैधानिक आधार	2
अध्याय 3	RTE अधिनियम, 2009 — मुख्य प्रावधान	3-4
अध्याय 4	धारा 12(1)(c) : 25% निःशुल्क प्रवेश — प्रश्न-उत्तर में	5
अध्याय 5	प्रवेश कैसे लें — चरण-दर-चरण	6
अध्याय 6	प्रवेश के बाद बच्चे के अधिकार	7
अध्याय 7	सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय	8
अध्याय 8	दिनेश बिवाजी अष्टिकर (2026) — विशेष अध्ययन	9-10
अध्याय 9	शिकायत और उपचार — कहाँ जाएँ?	11
अध्याय 10	NALSA (शिक्षा) योजना, 2026	12-13
अध्याय 11	सभी हितधारकों की भूमिका	14
अध्याय 12	सामान्य प्रश्न एवं भ्रांतियाँ	15
परिशिष्ट 1–4	नमूना आवेदन, नमूना शिकायत, PLV चेकलिस्ट, शब्दावली व संदर्भ	16-17

अध्याय 1 : परिचय : पूरी बात एक नज़र में

संविधान हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार देता है, परंतु अधिकार तभी सार्थक है जब वह गरीब, मज़दूर, प्रवासी या दिव्यांग बच्चे की कक्षा तक पहुँचे। निजी (गैर-सहायता प्राप्त) विद्यालयों में 25% निःशुल्क सीटें इसी सपने का सबसे बड़ा साधन है, जहाँ अमीर-गरीब के बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही बेंच पर साथ पढ़ सकते हैं।

समस्या कहाँ है? (NALSA शिक्षा योजना, 2026 के अनुसार)

- **जानकारी की कमी** — कई परिवारों को पता ही नहीं कि निजी स्कूल में निःशुल्क सीट मिल सकती है।
- **सीटों का अधूरा उपयोग** — योजना के अनुसार 2013–15 के आँकड़ों पर आधारित अंतिम व्यापक आकलन (2016) में सीटों का उपयोग लगभग 15% पाया गया।
- **कागज़ी अड़चनें** — दस्तावेज़ों की माँग और प्रक्रिया की अस्पष्टता, जो कमज़ोर परिवारों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।
- **डिजिटल बहिष्करण** — ऑनलाइन आवेदन में मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी।
- **राज्यों में भिन्नता** — प्रवेश की तिथियाँ, पात्रता, पोर्टल और परिणाम हर राज्य में अलग।

विधिक सेवा संस्थाओं की नई भूमिका

NALSA (शिक्षा) योजना, 2026 विधिक सेवा संस्थाओं को आगे बढ़कर (pro-active) बच्चों के शिक्षा-अधिकार को ज़मीन पर उतारने वाला सहायक बनाती है: जागरूकता, प्रवेश में सहायता, शिकायत निवारण, प्रवेश के बाद सहयोग और निगरानी, सब एक ढाँचे में समायोजित किये गए है।

10 मुख्य बातें

- 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार** है (अनुच्छेद 21A; RTE धारा 3)।
- निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय को **प्रवेश-स्तर की कक्षा में कम से कम 25% सीटें** पड़ोस के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग व वंचित समूह के बच्चों को देनी हैं (धारा 12(1)(c))।
- यह निःशुल्क शिक्षा **प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने (कक्षा 8) तक** चलती है।
- कोई फीस, डोनेशन (कैपिटेशन) नहीं; बच्चे या माता-पिता का **इंटरव्यू/टेस्ट नहीं** (धारा 13)।
- विद्यालय को सरकार से प्रति-बच्चा खर्च की **प्रतिपूर्ति** मिलती है (धारा 12(2))।
- बच्चे को **अलग सेक्शन/शिफ्ट में नहीं** रखा जा सकता, रोका या निकाला नहीं जा सकता (धारा 16) , शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न निषिद्ध (धारा 17)।
- **आयु-प्रमाण के अभाव में** प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता (धारा 14(2))।
- शिकायत की सीढ़ी : **विद्यालय → BEO/DEO → DLSA / स्थानीय प्राधिकारी → बाल अधिकार आयोग → निःशुल्क विधिक सेवा संस्था**
- सर्वोच्च न्यायालय ने **दिनेश बिवाजी अष्टिकर (13.01.2026)** में इसे "राष्ट्रीय मिशन" कहा और बाध्यकारी नियम, हेल्प-डेस्क, पारदर्शिता व समयबद्ध शिकायत निवारण पर ज़ोर दिया।
- **NALSA (शिक्षा) योजना, 2026:** ज़िला व तालुक स्तर पर SHIKSHA यूनिट; PLV पहला संपर्क बिंदु। टोल-फ्री हेल्पलाइन **15100**।

अध्याय 2 : संवैधानिक आधार

शिक्षा का अधिकार सिर्फ़ क़ानून की मेहरबानी नहीं, बल्कि संविधान की गारंटी है। तालिका में संबंधित प्रावधान निम्नानुसार सरल भाषा में हैं :

प्रावधान	क्या कहता है	सरल अर्थ
प्रस्तावना	प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता	सब बच्चे बराबरी और भाईचारे के साथ पढ़ें
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समता	गरीब-अमीर में भेद नहीं
अनुच्छेद 15(5)	राज्य शिक्षण संस्थाओं (निजी गैर-सहायता प्राप्त सहित, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) में प्रवेश के लिए वंचित वर्गों हेतु विशेष उपबंध कर सकता है	निजी स्कूलों में आरक्षण/निःशुल्क सीट का संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (गरिमामय जीवन)	सर्वोच्च न्यायालय: शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार से निकलता है
अनुच्छेद 21A	6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे (86वाँ संशोधन, 2002)	यह मौलिक अधिकार है: इस अनुच्छेद के तहत क़ानून RTE अधिनियम, 2009 है
अनुच्छेद 39(f)	बच्चों को स्वस्थ रूप से, स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास के अवसर	राज्य का नीति-निदेश
अनुच्छेद 45	6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा	आँगनबाड़ी/पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का आधार
अनुच्छेद 51A(k)	माता-पिता/संरक्षक का मौलिक कर्तव्य कि 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दें	अभिभावक का भी दायित्व; RTE धारा 10

समय-रेखा

- **2002** — 86वाँ संशोधन: अनुच्छेद 21A जुड़ा।
- **26 अगस्त 2009** — निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009 का 35) अधिनियमित; **1 अप्रैल 2010** से प्रभावी।
- **2012 / 2014** — सर्वोच्च न्यायालय: धारा 12(1)(c) वैध (अल्पसंख्यक संस्थाएँ बाहर)।
- **13 जनवरी 2026** — दिनेश बिवाजी अष्टिकर निर्णय: प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने के निर्देश।
 2026 — NALSA (शिक्षा) योजना, 2026 ।

अध्याय 3 : RTE अधिनियम, 2009 — मुख्य प्रावधान

मुख्य परिभाषाएँ (धारा 2)

शब्द	अर्थ
बालक [2(c)]	6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका
वंचित समूह का बालक [2(d)]	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का बालक, तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी, लिंग आदि कारणों से अलाभित ऐसे अन्य समूह का बालक जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	ऐसे माता-पिता/संरक्षक का बालक जिनकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है
प्रारंभिक शिक्षा [2(f)]	कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा
विद्यालय [2(n)]	मान्यता प्राप्त विद्यालय: (i) सरकार/स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय, (ii) सहायता प्राप्त विद्यालय, (iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का विद्यालय (जैसे केंद्रीय/नवोदय/सैनिक), (iv) गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय
अनुवीक्षण प्रक्रिया [2(o)]	किसी अनिश्चित पद्धति से, दूसरों पर अधिमानता देकर, बालक के प्रवेश हेतु चयन की पद्धति (screening), जो धारा 13 में निषिद्ध है
समुचित सरकार [2(a)]	सामान्यतः राज्य सरकार (राज्य में स्थित विद्यालयों के संबंध में), केंद्रशासित क्षेत्रों/केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्र/संबंधित सरकार

महत्वपूर्ण धाराएँ — एक नज़र में

धारा	विषय	सार
3	निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार	विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, कोई फीस/प्रभार/व्यय नहीं जो पढ़ाई से रोके। दिव्यांग बच्चों के अधिकार हेतु विशेष उपबंध।
4	छूटे/ अधिक आयु के बच्चे	आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश तथा विशेष प्रशिक्षण; 14 वर्ष के बाद भी शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क।
5	स्थानांतरण	दूसरे स्कूल में जाने का अधिकार, प्रधानाध्यापक तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र देगा, देरी प्रवेश से इंकार का आधार नहीं।
6, 8, 9	सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी	पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराना; 14 वर्ष तक के बच्चों का अभिलेख रखना, प्रवेश, उपस्थिति व पूर्णता की निगरानी, कमज़ोर वर्ग से पक्षपात न होना, प्रवासी परिवारों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना।
10	माता-पिता का कर्तव्य	बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाना।

12	विद्यालय की ज़िम्मेदारी	(1) (a) सरकारी स्कूल: सभी बच्चों को निःशुल्क, (b) सहायता प्राप्त: सहायता के अनुपात में, न्यूनतम 25%, (c) गैर-सहायता/विनिर्दिष्ट प्रवर्ग: प्रवेश-स्तर में कम से कम 25%, (2) प्रतिपूर्ति, (3) आवश्यक जानकारी देना।
13	कैपिटेशन फीस व अनुवीक्षण निषेध	कोई प्रति-व्यक्ति फीस नहीं, स्क्रीनिंग नहीं। उल्लंघन पर दंड: कैपिटेशन फीस पर लिए गए धन का 10 गुना तक जुर्माना; स्क्रीनिंग पर पहले उल्लंघन के लिए ₹25,000 तक तथा बाद के प्रत्येक उल्लंघन पर ₹50,000 तक।
14	आयु का प्रमाण	जन्म प्रमाणपत्र या अन्य निर्धारित दस्तावेज़ के आधार पर; आयु-प्रमाण न होने से प्रवेश से इंकार नहीं।
15	प्रवेश से इंकार नहीं	सत्र के आरंभ या विस्तारित अवधि में प्रवेश; विस्तारित अवधि के बाद चाहने पर भी प्रवेश से इंकार नहीं (बालक को निर्धारित रीति से अध्ययन पूरा करना होगा)।
16	रोकना व निष्कासन निषेध	प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासन नहीं। (टिप्पणी: 2019 के संशोधन के बाद समुचित सरकार कक्षा 5 व 8 में नियमित परीक्षा व पुनः परीक्षा के बाद रोकने का निर्णय ले सकती है; राज्य की अधिसूचना देखें, पर निष्कासन फिर भी नहीं हो सकता।)
17	शारीरिक दंड निषेध	शारीरिक दंड/ मानसिक उत्पीड़न नहीं; उल्लंघन पर शिक्षक/ व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।
18–19	मान्यता व मानक	मान्यता के बिना विद्यालय नहीं चल सकता; अनुसूची के मान व मानक (शिक्षक-छात्र अनुपात, भवन, शौचालय, पेयजल आदि)। मान्यता बिना विद्यालय चलाने पर जुर्माना।
21	विद्यालय प्रबंध समिति (SMC)	कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/संरक्षक; वंचित वर्ग के अभिभावकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व; 50% सदस्य महिलाएँ। स्कूल की निगरानी व विकास योजना।
23–28	शिक्षक	योग्यता, कर्तव्य, छात्र-शिक्षक अनुपात; गैर-शैक्षिक कार्यों में नियोजन व प्राइवेट ट्यूशन पर रोक।
29–30	पाठ्यक्रम	संविधान के मूल्यों के अनुरूप, बाल-केंद्रित शिक्षा; मातृभाषा में माध्यम जहाँ तक संभव; प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं; पूर्णता प्रमाणपत्र।
31	निगरानी	NCPCR / राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग: सुरक्षा उपायों की समीक्षा व शिकायतों की जाँच।
32	शिकायत निवारण	अधिकारिता वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत; तीन माह में निपटारा; निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य बाल अधिकार आयोग को।
36	अभियोजन	धारा 13(2), 18(5), 19(5) के दंडनीय अपराधों में अभियोजन हेतु सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक।
38	नियम बनाने की शक्ति	समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है (इसी के अंतर्गत 12(1)(c) हेतु नियम बनाने के निर्देश दिनेश बिवाजी अष्टिकर में दिए गए)।

अध्याय 4 : धारा 12(1)(c) : 25% निःशुल्क प्रवेश — प्रश्न-उत्तर में

धारा 12(1)(c) का सार

गैर-सहायता प्राप्त (और विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के) विद्यालय कक्षा 1 में, कम से कम 25% सीटों तक, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देंगे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएँगे। जहाँ विद्यालय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा भी देता है, वहाँ यही प्रावधान उस प्रवेश-स्तर पर लागू होता है।

प्रश्न	उत्तर
किन विद्यालयों पर लागू?	मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय [धारा 2(n)(iv)] और विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालय [धारा 2(n)(iii)]। **अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं** (प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट, 2014)। सरकारी विद्यालय में सभी बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है; सहायता प्राप्त विद्यालय सहायता के अनुपात में (न्यूनतम 25%) निःशुल्क शिक्षा देते हैं।
कौन-सी कक्षा में?	प्रवेश-स्तर की कक्षा (कक्षा 1, या पूर्व-प्राथमिक यदि विद्यालय में है)। नीति का आशय है कि बच्चे शुरुआती उम्र से साथ पढ़ें और एक "क्रिटिकल मास" बने।
25% किसका?	उस कक्षा की कुल संख्या (class strength) का कम से कम 25%।
कौन-से बच्चे पात्र?	(क) **वंचित समूह**: SC, ST, सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ा वर्ग तथा राज्य द्वारा अधिसूचित अन्य समूह; (ख) **आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग**: वार्षिक आय राज्य की निर्धारित सीमा से कम। NALSA योजना प्रवासी परिवारों व दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देती है।
"पड़ोस" का क्या अर्थ?	राज्य नियमों में निर्धारित क्षेत्र/सीमा। दिनेश बिवाजी अष्टिकर में याचिकाकर्ता का घर पड़ोस के स्कूल के 3 किमी के भीतर था और शिक्षा अधिकारी ने इसी आधार पर प्रवेश हेतु पत्र लिखा था।
कितने वर्ष तक निःशुल्क?	प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने (कक्षा 8) तक। हर साल दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं; प्रवेश के बाद बच्चे की बार-बार जाँच नहीं हो सकती।
क्या कोई फीस लग सकती है?	नहीं। धारा 3(2) और 13 के अनुसार कोई फीस/प्रभार नहीं जो बच्चे को शिक्षा से रोके; कैपिटेशन फीस व अनुवीक्षण (Screening) पूर्णतः निषिद्ध।
विद्यालय को क्या मिलता है?	धारा 12(2): राज्य द्वारा किए गए प्रति-बच्चा खर्च या बच्चे से वास्तव में ली जाने वाली राशि, इनमें जो कम हो, की प्रतिपूर्ति; वह सरकारी विद्यालय के प्रति-बच्चा खर्च से अधिक नहीं होगी। (ज़मीन/भवन आदि रियायती दर पर लेने वाले विद्यालय उस सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं।) सिद्धांत: प्रतिपूर्ति सरकार–विद्यालय का विषय है, उसके कारण बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए; दिनेश बिवाजी अष्टिकर में भी प्रतिपूर्ति बिना देरी के करने का बिंदु शामिल है।
क्या बच्चे का टेस्ट/इंटरव्यू हो सकता है?	नहीं। अनुवीक्षण (Screening) प्रक्रिया निषिद्ध है (धारा 13(1))।
आवेदन अधिक, सीटें कम हों तो?	चयन के मानदंड और लॉटरी की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और व्यापक रूप से प्रकाशित होनी चाहिए; परिणाम तर्कसंगत आदेश (speaking order) के रूप में प्रकाशित हो (दिनेश बिवाजी अष्टिकर)।
क्या सीटों की जानकारी पहले मिलेगी?	हाँ। विद्यालय आवेदन चरण शुरू होने से काफ़ी पहले उपलब्ध सीटों की संख्या प्रकाशित करें; धारा 12(3) के तहत हर विद्यालय सरकार/स्थानीय प्राधिकारी को माँगी गई जानकारी देगा। RTI से भी सीटों की जानकारी ली जा सकती है।
क्या इन बच्चों को अलग सेक्शन/शिफ्ट में रखा जा सकता है?	नहीं। इन बच्चों को अलग सेक्शन या दोपहर की पारी में पढ़ाना या फीस देने वाले बच्चों से भिन्न व्यवहार करना नीति के विपरीत है (MHRD का कथन, जिसे दिनेश बिवाजी अष्टिकर में उद्धृत किया गया)।

अध्याय 5 : प्रवेश कैसे लें — चरण-दर-चरण

हर राज्य की समय-सारणी, पोर्टल और दस्तावेज़ सूची अलग हो सकती है। नीचे सामान्य प्रक्रिया दी गई है:

चरण	क्या करें	सहायता कौन देगा?
1. जानकारी	राज्य शिक्षा विभाग की प्रवेश अधिसूचना, तिथियाँ, पात्रता व पोर्टल की जानकारी लें। पंचायत, स्कूल, DLSA/TLSC कार्यालय में सूचना-पट्ट देखें।	P L V , आँगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता, पंचायत
2. पात्रता जाँच	बच्चे की आयु, प्रवेश-स्तर की कक्षा, परिवार की आय/श्रेणी और पड़ोस के स्कूल देखें।	PLV, हेल्प-डेस्क
3. दस्तावेज़	आयु, निवास, आय/श्रेणी प्रमाण आदि जुटाएँ (नीचे सूची)। कमी हो तो वैकल्पिक/अस्थायी दस्तावेज़ की संभावना पूछें।	PLV, TLSC, ई-मित्र/कॉमन सर्विस सेंटर
4. आवेदन	निर्धारित राज्य पोर्टल पर आवेदन भरें; स्कूलों की प्राथमिकता सावधानी से चुनें (नियमानुसार)। **पावती/आवेदन क्रमांक सुरक्षित रखें।**	हेल्प-डेस्क, CSC, PLV
5. स्थिति देखें	आवेदन की स्थिति, परिणाम/लॉटरी और स्कूल आवंटन की जानकारी लें।	PLV, हेल्पलाइन
6. स्कूल सत्यापन	आवंटित स्कूल में निर्धारित अवधि में दस्तावेज़ सत्यापन कराएँ। बाद में मूल दस्तावेज़ों पर बार-बार आपत्ति नहीं हो सकती।	PLV साथ जाएँ
7. प्रवेश की पुष्टि	प्रवेश पूर्ण होने की लिखित पुष्टि लें। **कोई शुल्क या शर्त न दें।**	PLV, TLSC
8. फॉलो-अप	बच्चा नियमित स्कूल जा रहा है या नहीं, फीस/भेदभाव की शिकायत तो नहीं, यह देखें।	PLV (अध्याय 6, परिशिष्ट 3)

सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज़ (राज्य की अधिसूचना अनुसार)

- **आयु प्रमाण** — जन्म प्रमाणपत्र या धारा 14 के अनुसार अन्य निर्धारित दस्तावेज़। आयु-प्रमाण न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता (धारा 14(2))।
- **निवास प्रमाण** — पड़ोस/क्षेत्र सिद्ध करने हेतु।
- **आय प्रमाणपत्र (आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु)** अथवा श्रेणी/जाति/दिव्यांगता प्रमाण (वंचित समूह हेतु), जैसा राज्य ने अधिसूचित किया हो।
- **पहचान/आधार-संबंधी दस्तावेज़ और फोटो** — जहाँ राज्य नियम में माँगे गए हों।

दस्तावेज़ अधूरे हों तो घबराएँ नहीं

- आवेदन को सीधे ख़ारिज नहीं किया जा सकता: दिनेश बिवाजी अष्टिकर में कहा गया कि दस्तावेज़ों की कमी के आधार पर बिना सुधार का अवसर दिए आवेदन अस्वीकार न हो; निश्चित समय-सीमा वाली "सुधार खिड़की" (correction window) हो।
- NALSA योजना के अनुसार PLV/LSI कमी पहचानने, दस्तावेज़ बनवाने या नियमित कराने तथा जहाँ अनुमत हो वैकल्पिक/अस्थायी दस्तावेज़ के उपयोग में मार्गदर्शन देंगे।

अध्याय 6 : प्रवेश के बाद बच्चे के अधिकार

प्रवेश मिल जाना आधी यात्रा है। असली सफलता तब है जब बच्चा रूके, सीखे और सम्मान से आगे बढ़े (NALSA योजना की मूल भावना)।

अधिकार	आधार	सरल रूप
निःशुल्क शिक्षा	धारा 3(2), 12(1)(c), 13	फीस, डोनेशन या कोई शर्त/प्रभार नहीं जो शिक्षा रोके
बराबरी का व्यवहार	अनुच्छेद 14, 21A; दिनेश बिवाजी अष्टिकर	अलग बैठक, अलग सेक्शन/ शिफ्ट, भेदभाव या अपमान नहीं
अंतिम चयन	दिनेश बिवाजी अष्टिकर (14.3)	प्रवेश के बाद विद्यालय द्वारा बार-बार स्क्रूटिनी नहीं
रोके/निकाले न जाना	धारा 16	प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासन नहीं
शारीरिक दंड व उत्पीड़न नहीं	धारा 17	मारपीट, अपमान, मानसिक प्रताड़ना पर रोक
स्कूल बदलने का अधिकार	धारा 5	तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र
सुरक्षित, मानक- अनुरूप स्कूल	अनुसूची; अविनाश मेहरोत्रा (2009)	सुरक्षित भवन, शौचालय (लड़के/ लड़कियों हेतु अलग), पेयजल, पुस्तकालय, खेल मैदान
दिव्यांग बच्चों हेतु समायोजन	अनुसूची (बाधामुक्त पहुँच); NALSA योजना 12.3(d)	रैम्प, सहायक सामग्री, उचित समायोजन
पूर्णता प्रमाणपत्र	धारा 30(2)	प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र
गोपनीयता व सुरक्षा	NALSA योजना 11.6	शिकायत करने पर उत्पीड़न नहीं, व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय

PLV के लिए:
प्रवेश के बाद इन "खतरे की घंटियों" पर नज़र रखें (NALSA योजना 12.2–12.3)

- आवंटन के बावजूद प्रवेश की पुष्टि न होना या देरी।
- स्कूल द्वारा फीस, किताब/यूनिफ़ॉर्म आदि के नाम पर कानून-विरुद्ध आर्थिक माँग।
- बच्चे की नियमित उपस्थिति में बाधाएँ (दूरी, परिवहन, डर, भेदभाव)।
- किसी भी प्रकार का बहिष्कार, अलग व्यवहार या उचित समायोजन का अभाव।

इनमें से कोई भी स्थिति मिले तो तुरंत संबंधित TLSC/DLSA को सूचित करें; परिवार को शिकायत की सीढ़ी (अध्याय 9) बताएँ। DLSA शिक्षा अधिकारियों के सांविधिक कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना समन्वय करेगा।

अध्याय 7 : सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

निम्नलिखित निर्णय शिक्षा के अधिकार की यात्रा को समझाते हैं:-

निर्णय	मुख्य बात	उपयोग
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992)	शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से निकलता है; कैपिटेशन फीस शिक्षा के अधिकार का हनन।	डोनेशन/ कैपिटेशन के विरुद्ध तर्क
उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)	14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार है; उसके बाद राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुसार।	अनुच्छेद 21A की जड़
टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002)	निजी शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकार है, पर मुनाफ़ाखोरी/ कैपिटेशन फीस की अनुमति नहीं; संस्थाओं का नियमन संभव।	निजी स्कूलों पर सामाजिक दायित्व
अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ (2009)	शिक्षा के अधिकार में सुरक्षित, सुरक्षा-मानकों वाले विद्यालय में पढ़ने का अधिकार भी शामिल।	स्कूल की सुरक्षा व मानक
सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ (2012)	धारा 12(1)(c) संवैधानिक रूप से वैध; गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर 25% प्रावधान बाध्यकारी। (राजस्थान की संस्था द्वारा चुनौती दी गई थी।)	**सबसे महत्वपूर्ण** : निजी स्कूल आपत्ति नहीं कर सकते
प्रमाति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)	RTE अधिनियम (धारा 12(1)(c) सहित) अल्पसंख्यक विद्यालयों (सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त) पर लागू नहीं; अनुच्छेद 15(5) वैध।	किन स्कूलों पर लागू नहीं
दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 INSC 56), दिनांक 13.01.2026	12(1)(c) का प्रवेश "राष्ट्रीय मिशन"; नियम बनाने, हेल्प-डेस्क, पारदर्शिता, शिकायत निवारण के निर्देश (अध्याय 8)।	वर्तमान ढ़ाँचे की नींव; NALSA योजना का आधार

अध्याय 8 : दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) - विशेष अध्ययन

2026 INSC 56 | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10105/2017 | निर्णय दिनांक 13 जनवरी 2026 | पीठ : न्यायमूर्ति श्री पी.एस. नरसिम्हा व न्यायमूर्ति श्री अतुल एस. चंदुरकर | न्यायमित्र : श्री सेंथिल जगदीशन, वरिष्ठ अधिवक्ता

मामला क्या था?

- महाराष्ट्र (गोंदिया) के एक अभिभावक ने 2016 में अपने बच्चों के प्रवेश हेतु पड़ोस के स्कूल से संपर्क किया। RTI से पता चला कि सीटें खाली थीं (पत्रावली के अनुसार 648 सीटें रिक्त), फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया।
- उच्च न्यायालय ने याचिका यह कहकर लौटा दी कि अभिभावक ने ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन नहीं किया, इसलिए "वह स्वयं को दोष दे"। जबकि ज़िला परिषद के शिक्षा अधिकारी ने पहले ही प्रवेश हेतु पत्र लिखा था क्योंकि घर स्कूल के 3 किमी के भीतर और परिवार अत्यंत गरीब था।
- सर्वोच्च न्यायालय में मामला इतने वर्ष लंबित रहा कि इस याचिकाकर्ता के लिए राहत का समय निकल चुका था। फिर भी अदालत ने भविष्य के अभिभावकों के लिए **नज़ीर बनाने** हेतु पूरी प्रक्रिया की जाँच की।

सीख : देर = अधिकार से वंचित

जिस बच्चे के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, उसके लिए निर्णय आने तक समय निकल गया। इसलिए प्रवेश-चक्र के भीतर ही शिकायत करें, आवेदन की पावती रखें, और PLV/DLSA की मदद जल्दी लें।

न्यायालय की मुख्य बातें (सरल सार)

- **पाँच कर्तव्यधारी :** (1) समुचित सरकार, (2) स्थानीय प्राधिकारी, (3) पड़ोस का विद्यालय, (4) माता-पिता/संरक्षक, (5) प्रारंभिक शिक्षक। अधिकार तभी मिलेगा जब सब अपना कर्तव्य निभाएँ।
- **राष्ट्रीय मिशन :** गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम से कम 25% कक्षा-संख्या में कमज़ोर व वंचित वर्गों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना; इस मिशन में संस्था हो या व्यक्ति, केंद्र हो या राज्य, सलाहकार परिषदें या आयोग, सभी कर्तव्यधारी हैं। न्यायपालिका की भी ज़िम्मेदारी कि प्रक्रिया सुलभ हो और उपचार शीघ्र मिले।
- **बंधुता (Fraternity) :** पड़ोस के साझा विद्यालय में करोड़पति और रिक्शा-चालक का बच्चा एक साथ बैठ सके, यही धारा 12 की परिकल्पना है। बंधुता लागू करने योग्य मूल्य है।
- **25% क्यों, और केवल प्रवेश-स्तर पर क्यों :** कम अनुपात "टोकन" बनकर रह जाता; बच्चे, शिक्षक व विद्यालय-वातावरण को ढलने का समय मिले। अलग सेक्शन या अलग पारी नहीं।
- **समस्याएँ जो न्यायमित्र ने रखीं :** ऑनलाइन आवेदन व डिजिटल निरक्षरता, भाषा-बाधा, हेल्प-डेस्क का अभाव, सीटों की जानकारी का अभाव, प्रवेश में पारदर्शिता की कमी, शिकायत मंच को लेकर अनिश्चितता।
- **NCPCR की SOP** (तीन चरण : तैयारी; आवेदन-चयन-प्रवेश; प्रवेश के बाद) केवल **दिशा-निर्देश** है, बाध्यकारी नहीं। इसलिए न्यायालय ने कहा कि **बाध्यकारी नियम और विनियम** बनाना ज़रूरी है, वरना अनुच्छेद 21A और धारा 12(1)(c) "मृत-पत्र" रह जाएँगे।

न्यायालय के निर्देश

- समुचित प्राधिकारी NCPCR व राज्य आयोगों तथा राष्ट्रीय व राज्य सलाहकार परिषदों से परामर्श कर, **धारा 38 के अंतर्गत नियम व विनियम** बनाएँ और जारी करें।
- NCPCR को पक्षकार बनाया जाकर आदेश की प्रति अनुपालन व निगरानी हेतु आयोग को भेजी जाए।
- आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी नियमों की जानकारी सशपथ प्रस्तुत करना।

सुझाए गए उपाय — तीन चरणों में

चरण	क्या होना चाहिए
1. तैयारी	• विद्यालय 20 कार्य-दिवस में घोषित सीटों का आँकड़ा दें • सरकार/स्थानीय प्राधिकारी मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व स्थानीय माध्यमों (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र) में प्रवेश-अनुसूची प्रचारित करें • 12(1)(c) की प्रक्रिया DG/EWS प्रवेश से पहले पूरी हो, कम से कम सत्र आरंभ से दो माह पूर्व • केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल; हेल्प-डेस्क से डिजिटल खाई पाटना • पात्रता मानदंड व दस्तावेज़ सूची स्पष्ट व सरल • विवाद निपटान समितियाँ बनें और उनकी जानकारी सार्वजनिक हो • जानकारी कम से कम तीन भाषाओं में (हिंदी, अंग्रेज़ी व स्थानीय भाषा)
2. आवेदन, चयन व प्रवेश	• स्थानीय प्राधिकारी, पड़ोस के विद्यालय व NGO निःशुल्क हेल्प-डेस्क बनाएँ (कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता सहित) • चयन-मानदंड और लॉटरी सरल व व्यापक रूप से प्रकाशित हों • आवेदनों की जाँच निजी विद्यालय नहीं, क्षेत्रीय/स्थानीय टीमें करें • दस्तावेज़ों की कमी पर बिना सुधार का अवसर दिए आवेदन अस्वीकार नहीं; समय-सीमा सहित सुधार खिड़की • धारा 32 या विवाद निपटान समिति के माध्यम से सरल व प्रभावी विवाद समाधान • प्रवेश अस्वीकार हो तो कारण सहित अपलोड और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 72 घंटे में समीक्षा (संयुक्त सुझाव)
3. प्रवेश के बाद	• चयन-परिणाम तर्कसंगत आदेश के रूप में प्रकाशित हों • पोर्टल पर स्कूलवार चयनित बच्चों की सूची; प्रवेश लेने वालों का अद्यतन अभिलेख • किसी स्कूल में आरक्षित सीटें लगातार खाली रहें तो कारणों की जाँच • प्रवेश के बाद प्रभावी समावेशन के आवश्यक उपाय • प्रति-बच्चा खर्च की प्रतिपूर्ति बिना देरी • प्रवेशित बच्चों की स्कूल द्वारा आगे जाँच नहीं (चयन अंतिम)

अध्याय 9 : शिकायत और उपचार - कहाँ जाएँ?

प्रवेश से मना किया जाए, फीस माँगी जाए या भेदभाव हो, तो कदम-दर-कदम आगे बढ़ें। हर स्तर पर लिखित आवेदन दें और पावती/फोटो/संदेश सुरक्षित रखें।

स्तर	कहाँ / किससे	क्या करें
1	**विद्यालय** (प्रधानाचार्य/प्रबंधन)	लिखित आवेदन देकर कारण पूछें; पावती लें। (NALSA 11.3(a): पहले स्कूल स्तर पर तत्काल समाधान का प्रयास)
2	**खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) / ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO)**	अनसुलझी शिकायत लिखित में दें। (दिनेश बिवाजी अष्टिकर की सुझाई व्यवस्था: प्रवेश-अस्वीकृति कारण सहित दर्ज हो व BEO 72 घंटे में समीक्षा करे)
3	**ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) / तालुक विधिक सेवा समिति (TLSC)**	निःशुल्क सहायता: शिक्षा अधिकारियों से समन्वय, शिकायत/अभ्यावेदन का मसौदा, प्रशासनिक स्तर पर मध्यस्थता/समाधान, आवश्यक होने पर विधिक कार्रवाई (NALSA 11.3(c), 11.4)
4	**स्थानीय प्राधिकारी — धारा 32**	अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत; सुनवाई का अवसर देकर तीन माह में निपटारा; निर्णय के विरुद्ध **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग** में अपील
5	**राज्य/ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग — धारा 31**	शिक्षा के अधिकार संबंधी शिकायतों की जाँच व सुरक्षा उपायों की समीक्षा
6	**राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)**	प्रणालीगत समस्या, बार-बार अनुपालन न होना, या उच्च स्तर के हस्तक्षेप के मामले (NALSA 11.3(d))
7	**उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 226 की रिट याचिका**	DLSA/विधिक सहायता अधिवक्ता से मदद। सर्वोच्च न्यायालय का आग्रह: न्यायालय अभिभावकों को सुलभ पहुँच व शीघ्र राहत दें।

उपयोगी हथियार

- **RTI** — स्कूल/शिक्षा विभाग से 12(1)(c) की सीटों की संख्या, आवेदन, लॉटरी व रिक्तियों की जानकारी।
- **दंडात्मक प्रावधान** — कैपिटेशन फीस/स्क्रीनिंग पर धारा 13(2) का दंड; मान्यता बिना विद्यालय पर धारा 18–19। अभियोजन हेतु धारा 36 में पूर्व मंजूरी आवश्यक।
- **निःशुल्क विधिक सेवा** — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत बच्चे निःशुल्क विधिक सेवा के पात्र हैं; NALSA योजना ने माता-पिता/संरक्षक को भी लाभार्थी माना है।
- **हेल्पलाइन** — NALSA/RSLSA टोल-फ्री **15100/9928900900** (टोल-फ्री); चाइल्डलाइन **1098**।
- **सुरक्षा (NALSA योजना 11.6)** — शिकायतकर्ता को उत्पीड़न न झेलना पड़े, जानकारी गोपनीय रहे, सहायता बाल-संवेदनशील हो; DLSA स्तर पर हर शिकायत, कार्रवाई व परिणाम दर्ज होंगे।

अध्याय 10 : NALSA (शिक्षा) योजना, 2026

SHIKSHA = Scheme for Holistic Inclusion, Knowledge & Schooling through Help & Access. यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना है जो RTE की धारा 12(1)(c) के क्रियान्वयन में विधिक सेवा संस्थाओं (LSI) और पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) की संरचित भूमिका तय करती है। इसे केवल प्रवेश स्तर का अभियान न मानकर वर्ष-भर चलने वाला अभियान माना गया है।

उद्देश्य

- योग्य बच्चों के प्रवेश में सहायता; पात्रता, प्रक्रिया व समय-सीमा के बारे में जागरूकता।
- निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के वैधानिक दायित्वों (भेदभाव निषेध, प्रवेश-आवश्यकताएँ) की स्पष्टता।
- प्रवेश-अस्वीकृति व प्रक्रियागत बाधाओं का समय पर निवारण।
- न्यायिक निर्देशों (दिनेश बिवाजी अष्टिकर) के अनुरूप क्रियान्वयन।
- LSI व PLV की भूमिकाओं का निर्धारण, हितधारकों का क्षमता-निर्माण, राज्यों व संस्थाओं से समन्वय व फीडबैक।

SHIKSHA यूनिट

प्रत्येक ज़िले में DLSA के अंतर्गत **ज़िला SHIKSHA यूनिट** और तालुक विधिक सेवा समिति (TLSC) के अंतर्गत **तालुक SHIKSHA यूनिट** गठित होती है। SLSA सभी DLSA को निर्देश देता है; DLSA अध्यक्ष योजना प्रारंभ होने के **एक माह के भीतर** ज़िला यूनिट गठित कर SLSA को सूचित करेंगे। DLSA, TLSC को तालुक यूनिट गठित करने का निर्देश देता है।

ज़िला SHIKSHA यूनिट	भूमिका
प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, DLSA	अध्यक्ष
सचिव, DLSA	नोडल अधिकारी
ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO) या नामित	सदस्य
एक TLSC अध्यक्ष (DLSA अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
न्यूनतम चार PLV, जिनमें कम से कम एक महिला PLV	सदस्य
लीगल एड क्लिनिक से जुड़े विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य	सदस्य
शैक्षिक संस्था/विद्यालय प्रशासन का प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर)	सदस्य

तालुक SHIKSHA यूनिट	भूमिका
अध्यक्ष, TLSC	अध्यक्ष
सचिव / अधिकारी, TLSC	नोडल अधिकारी
खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या नामित	सदस्य
न्यूनतम चार PLV (कम से कम एक महिला), TLSC अध्यक्ष द्वारा नामित	सदस्य
स्थानीय विद्यालय/विद्यालय-समूह का प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर)	सदस्य
स्थानीय शैक्षिक संस्था/सामुदायिक निकाय का प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर)	सदस्य

जहाँ संरचना के अनुसार गठन संभव न हो, वहाँ अध्यक्ष (पूर्व सूचना देकर) उपयुक्त सदस्य नामित कर सकते हैं। तालुक यूनिट ज़िला यूनिट की निगरानी में ज़मीनी क्रियान्वयन करती है तथा आउटरीच, प्रवेश-प्रक्रिया में सहायता, दस्तावेज़ीकरण और स्थानीय स्तर की समस्याओं पर तुरन्त सहायता उपलब्ध कराती है।

मुख्य गतिविधियाँ

क्षेत्र	क्या होगा
वर्ष-भर जागरूकता	ग्राम/वार्ड स्तर पर शिविर, ग्राम सभा, पंचायत, आँगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, CSC, लॉ कॉलेज/लीगल एड क्लिनिक व छात्र स्वयंसेवक, स्कूल-स्तर कार्यक्रम, सामुदायिक रेडियो व स्थानीय मीडिया,SMS/मैसेजिंग/सोशल मीडिया। प्रवेश चक्र से पहले केंद्रित अभियान।
सार्वजनिक प्रदर्शन	निजी व सरकारी स्कूल, DLSA/TLSC कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, पंचायत भवन, आँगनबाड़ी, CSC में पात्रता, समय-सारणी, दस्तावेज़ सूची, DLSA/TLSC/PLV संपर्क और शिकायत संपर्क केंद्र।
सुविधा केंद्र	DLSA, TLSC, लीगल एड क्लिनिक, सामुदायिक केंद्र; अस्थायी हेल्प-डेस्क (प्रवेश चक्र में); वॉक-इन सहायता; हेल्पलाइन व दूरस्थ सहायता।
प्रवेश सहायता	पात्रता मार्गदर्शन, दस्तावेज़ सहायता, ऑनलाइन फॉर्म, स्कूल चयन, पावती सुरक्षित रखना, आवेदन-स्थिति ट्रैकिंग, आवंटन के बाद अगले कदम, स्कूल-स्तर सत्यापन व प्रवेश औपचारिकताओं में सहयोग।
प्रवेश के बाद	PLV द्वारा नियमित संपर्क, फीस/भेदभाव की जाँच, शिकायत तंत्र की जानकारी, DLSA द्वारा पुष्ट प्रवेश व समस्याओं का अभिलेख।
प्रशिक्षण	SLSA प्रशिक्षण कराएँगे: प्रारंभिक अभिमुखीकरण, प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण, आवर्ती (refresher) प्रशिक्षण; विषय: अधिनियम, न्यायिक निर्देश, राज्य प्रक्रिया, पोर्टल, दस्तावेज़, शिकायत निवारण, रिपोर्टिंग मानक। पद्धति: संवादात्मक सत्र, पोर्टल प्रदर्शन, केस-आधारित सीख, डिजिटल मॉड्यूल।

अध्याय 11 : सभी हितधारकों की भूमिका

हितधारक	क्या करें
बच्चे	पढ़ाई जारी रखें; भेदभाव या मारपीट हो तो माता-पिता, शिक्षक या PLV को बताएँ किसी भी बच्चे का मज़ाक न उड़ाएँ; सब साथ पढ़ें, साथ खेलें चाइल्डलाइन 1098 याद रखें
माता-पिता / संरक्षक	प्रवेश-अवधि की जानकारी रखें, समय पर आवेदन करें (अनुच्छेद 51A(k), धारा 10) दस्तावेज़ तैयार रखें; पावती सँभालें किसी को पैसा या रिश्वत न दें; यदि माँग हो तो शिकायत करें
PLV	पहला संपर्क केंद्र: गाँव/वार्ड में परिवार खोजें, पात्रता व दस्तावेज़ में मदद करें डिजिटल प्रक्रिया में सहायता; सहायता का रिकॉर्ड रखें समस्या होने पर तुरंत DLSA/TLSC को रिपोर्ट करें प्रवेश के बाद नियमित फॉलो-अप
अधिवक्ता / लीगल एड क्लिनिक	शिविरों में पात्रता व शिकायत हेतु मार्गदर्शन शिकायत/अभ्यावेदन/रिट का मसौदा; निर्णय-विधि पर प्रशिक्षण विधि छात्रों को स्वयंसेवक के रूप में जोड़ें
निजी विद्यालय	सीटों की संख्या पहले से प्रकाशित करें प्रवेश बिना फीस/शर्त; कोई स्क्रीनिंग नहीं समावेशी वातावरण: अलग बैठक/पारी नहीं जानकारी माँगे जाने पर प्रदान करें (धारा 12(3))
शिक्षक	सभी बच्चों से समान, सम्मानजनक व्यवहार; शारीरिक दंड नहीं सीखने में पिछड़ रहे बच्चे को अतिरिक्त सहायता वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को "ज्ञान का स्रोत" मानकर कक्षा-प्रक्रिया में शामिल करें
SMC / पंचायत	स्कूल की निगरानी; प्रवेश व उपस्थिति पर नज़र वंचित वर्ग के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व
शिक्षा अधिकारी (BEO/DEO)	पोर्टल व सुधार खिड़की; स्क्रूटिनी स्थानीय टीमों से शिकायतों का समयबद्ध निपटारा; प्रवेश-अस्वीकृति की कारण सहित समीक्षा प्रतिपूर्ति बिना देरी
DLSA / TLSC	SHIKSHA यूनिट का गठन व संचालन जागरूकता कैलेंडर, हेल्प-डेस्क, निगरानी, रिपोर्टिंग PLV प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण

सूचना-पट्ट / पोस्टर का नमूना पाठ (NALSA योजना 9.4)

निजी स्कूल में निःशुल्क दाख़िला — आपके बच्चे का हक़!

- पात्रता:
- आवेदन की तिथियाँ:
- आवश्यक दस्तावेज़: आयु, निवास, आय/श्रेणी प्रमाण
- मदद के लिए संपर्क: DLSA / TLSC / PLV
- शिकायत हेतु: BEO/DEO, DLSA, 15100/9928900900 (टोल-फ्री)

अध्याय 12 : सामान्य प्रश्न एवं भ्रांतियाँ

प्रश्न / भ्रांति	सही जानकारी
"निजी स्कूल सिर्फ़ अमीरों के लिए हैं।"	गलत। कानून के अनुसार प्रवेश-स्तर की कम से कम 25% सीटें कमज़ोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए हैं (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर)।
"ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ तो हक़ ख़त्म।"	नहीं। दिनेश बिवाजी अष्टिकर में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन प्रक्रिया की डिजिटल निरक्षरता जैसी बाधाओं को स्वीकारा और हेल्प-डेस्क व सुधार खिड़की की ज़रूरत बताई।
"स्कूल कहता है सीट नहीं है।"	सीटों की संख्या प्रकाशित होनी चाहिए। RTI से जानकारी लें और BEO/DEO व DLSA को लिखित शिकायत दें।
"किताब, यूनिफ़ॉर्म आदि का खर्च?"	कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जा सकता जो बच्चे को शिक्षा से रोके। किताब/यूनिफ़ॉर्म की सुविधा का ब्योरा राज्य के नियम/आदेश में देखें; शंका हो तो DLSA से पूछें।
" हर साल दोबारा आवेदन करना होगा।"	नहीं। प्रवेश एक बार होता है और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क जारी रहता है; प्रवेश के बाद बच्चे की बार-बार जाँच नहीं हो सकती।
"अल्पसंख्यक स्कूल में भी मिलेगा?"	नहीं। प्रमाति (2014) के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालयों पर यह प्रावधान लागू नहीं।
"शिकायत करेंगे तो बच्चे को परेशान किया जाएगा।"	योजना में सुरक्षा का स्पष्ट प्रावधान है (11.6): उत्पीड़न नहीं, गोपनीयता, बाल-संवेदनशील सहायता। जोखिम लगे तो DLSA से सीधे संपर्क करें।
"PLV/DLSA की सहायता के लिए पैसे देने होंगे।"	नहीं। सहायता पूर्णतः निःशुल्क है। किसी से भी पैसे माँगे जाने पर शिकायत करें।
"आय/श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं बना।"	प्रमाण पत्र बनवाने में PLV/TLSC मदद करेंगे; जहाँ अनुमत हो अस्थायी/वैकल्पिक दस्तावेज़ का विकल्प पूछें। आवेदन में कमी पर सुधार का अवसर मिलना चाहिए।
"सीटों की प्रतिपूर्ति न मिले तो स्कूल मना कर सकता है।"	प्रतिपूर्ति सरकार और विद्यालय के बीच का विषय है; इसके कारण बच्चे के प्रवेश या पढ़ाई को रोका नहीं जाना चाहिए। प्रतिपूर्ति बिना देरी की जाए, ऐसा न्यायालय का भी सुझाव है।

परिशिष्ट 1 : नमूना आवेदन : निःशुल्क विधिक सहायता हेतु

सेवा में,

सचिव,

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण,

..... (ज़िला)

विषय : बच्चे के निःशुल्क शिक्षा (धारा 12(1)(c), RTE अधिनियम, 2009) संबंधी प्रवेश/शिकायत में विधिक सहायता हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं (नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी (पता/मोबाइल) का/की निवासी हूँ। मेरे बच्चे (नाम), आयु वर्ष का प्रवेश विद्यालय में कक्षा के लिए आवेदन/आवंटन के बावजूद निम्न कारणों से नहीं किया गया/फीस की माँग की गई/भेदभाव किया गया :

आवेदन क्रमांक (यदि हो) दिनांक

संलग्न दस्तावेज़ : (1) (2) (3)

अतः निवेदन है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर मेरे बच्चे का प्रवेश/शिक्षा सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

दिनांक :

भवदीय

..... (हस्ताक्षर/अंगूठा निशान)

परिशिष्ट 2 : नमूना शिकायत : खंड/ज़िला शिक्षा अधिकारी को

सेवा में,

खंड शिक्षा अधिकारी / ज़िला शिक्षा अधिकारी,

..... (ज़िला)

विषय : धारा 12(1)(c), RTE अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रवेश से इंकार / अनुचित शुल्क माँगे जाने के संबंध में शिकायत।

महोदय/महोदया,

मैं अपने बच्चे (आयु) का प्रवेश विद्यालय में कक्षा में चाहता/चाहती हूँ। विद्यालय द्वारा दिनांक को प्रवेश अस्वीकार किया गया/शुल्क की माँग की गई/निम्न भेदभाव किया गया :.....

निवेदन है कि धारा 12(1)(c), 13 व 3 के अनुसार प्रवेश दिलाने व दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें। साथ ही बताएँ कि प्रवेश अस्वीकृति का कारण अभिलेख में दर्ज है या नहीं।

संलग्न : आवेदन की पावती, दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, संबंधित संदेश/फोटो।

दिनांक :

भवदीय

प्रतिलिपि : सचिव, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (सूचनार्थ)

..... (हस्ताक्षर)

परिशिष्ट 3 : PLV फॉलो-अप चेकलिस्ट (NALSA योजना 12.2)

क्र.	जाँच बिंदु	हाँ / नहीं	टिप्पणी
1	बच्चे का विधिवत प्रवेश हुआ है और वह नियमित विद्यालय जा रहा है?		
2	विद्यालय कोई शुल्क/अतिरिक्त प्रभार माँग रहा है?		
3	भेदभाव, अलग बैठक या भिन्न व्यवहार की शिकायत है?		
4	शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न की घटना?		
5	दिव्यांग बच्चे के लिए उचित समायोजन/पहुँच उपलब्ध है?		
6	परिवार को शिकायत निवारण की जानकारी दी गई?		
7	समस्या मिलने पर TLSC/DLSA को सूचित किया गया?		

फॉर्म, रजिस्टर और रिपोर्टिंग हेतु NALSA योजना के अनुलग्नक A से E में निर्धारित प्रारूप का ही उपयोग करें। (अनुलग्नक "पृथक रूप से निर्धारित" होने हैं; उपलब्ध प्रारूप NALSA/SLSA से प्राप्त करें।)

परिशिष्ट 4 : संक्षिप्त शब्दावली, संदर्भ और अस्वीकरण

संक्षेप	पूरा नाम
RTE	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
NALSA / SLSA / DLSA / TLSC	राष्ट्रीय / राज्य / ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुक विधिक सेवा समिति
LSI	विधिक सेवा संस्थाएँ (Legal Services Institutions)
PLV	पैरा लीगल वालंटियर
BEO / DEO	खंड शिक्षा अधिकारी / ज़िला शिक्षा अधिकारी
NCPCR / SCPCR	राष्ट्रीय / राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
EWS / DG	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ वंचित समूह
SMC	विद्यालय प्रबंधन समिति
SOP	मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)
CSC	कॉमन सर्विस सेंटर



RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Rajasthan High Court Campus, Jaipur-302005

Phone : 0141-2227481, 2227602 (Fax) | Helpline Number : 9928900900

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, Website: www.rajasthan.nalsa.gov.in

rslsa.rajasthan @LeglAidRajsthan legalaidrajasthan